

2023/2024

"प्रतापन गाँवो के संग अधिवान:- 2023"

प्रतिवेदन पटवारी हल्का:-

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम कुज की टोला की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 20 में प्रार्थी का नाम इन्दु सिंह पुत्र/पुत्री/पति रामनारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम इन्दु सिंह पुत्र/पुत्री/पति रामनारायण सिंह जाति राजपूत है। जिसके साध्य के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र सलप है। अतः श्रीमानजी, सलप दस्तावेजो एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम इन्दु सिंह पुत्र रामनारायण सिंह दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

हस्ताक्षर पटवारी 20/6/23

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त:-

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम कुज की टोला की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 20 में प्रार्थी का नाम इन्दु सिंह पुत्र/पुत्री/पति रामनारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलप दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का कुज की टोला एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम इन्दु सिंह पुत्र/पुत्री/पति रामनारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

U2-24
21/6/23

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक 20/6/23

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम कुज की टोला की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 20 में प्रार्थी का नाम इन्दु सिंह पुत्र/पुत्री/पति रामनारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलप दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का कुज की टोला जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुज की टोला एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम इन्दु सिंह पुत्र/पुत्री/पति रामनारायण सिंह जाति राजपूत दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

उप-हस्ताक्षर तहसीलदार (भू.अ.)
अजीसिंह (सिंघर)

आदेश (शिबिर स्थान:- कुज की टोला) दिनांक:- 20/6/23

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- कुज की टोला जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- कुज की टोला जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा सलप दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- कुज की टोला के खाता संख्या:- 20 में प्रार्थी का नाम इन्दु सिंह पुत्र रामनारायण सिंह के स्थान पर इन्दु सिंह पुत्र रामनारायण सिंह दर्ज कर दुरुस्त किया जाता है।

उप-हस्ताक्षर अधिकारी
(श्रीमाधोपुर)